न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/174

1. गायत्री धर्मपत्नी राधाकिशन धाकड़ निवासी ग्राम मालीहेड़ा
2. लाडकंवर धर्मपत्नी धनराज धाकड़ निवासी मालीहेड़ा,
3. संतोष बाई धर्मपत्नी माणकचन्द धाकड़ निवासी ग्राम मालीहेड़ा तहसील सांगोद जिला कोटा राज.

–अपीलांटगण

बनाम

1. रामस्वरूप आत्मज मथुरालाल निवासी ग्राम मालीहेड़ा तहसील सांगोद जिला कोटा राज0
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तहसील सांगोद जिला कोटा राज0

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः– 1.श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 31.07.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 01/2020 में पारित निर्णय दिनांक 04.11.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 521 रकबा 0.77 हैक्टर आराजी एवं अप्रार्थी क 1. 2. 3 के खाते की खसरा नंबर 521/637 रकबा 0.77 हैक्टर वाके ग्राम मालीहेडा तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित है। प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 521 में आवागमन करने का एकमात्र पीढियों पुराना पारम्परिक रास्ता अप्रार्थी क 1 लगायत 3 के खाते की आराजी खसरा नंबर 521/637 में पूर्वी मेड पर होकर बदस्तूर चला आ है जिसे नजरी नक्शे में A से B विन्दु से दर्शाया गया है। उक्त A से B पारम्परिक रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 521 में आवागमन करने का अन्य कोई वैकल्पिक संस्था नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के 1 लगायत 3 की आराजी मूल खसरा नंबर 521 रकबा 1.54 हेक्टर से निर्मित किये गये हैं जो पूर्व में एक ही चक था जो ग्राम मालीहेडा से सुनारों के कुएँ तक

जाने वाली गडार से लगवा स्थित था तथा बाद में खसरा नंबर 521 रकबा 1.54 हैक्टर को विभाजन वाद राख्या 62/2016 बउनवानी लाडकुंवर वगैरा बनाम रामस्वरूप वगैरा में पारित अन्तिम निर्णय–डिकी दिनॉक 15.05.2017 की पालना में दो भागों में विभक्त कर दिया गया जिसमें गडार (रास्ते) से संलग्न खसरा नंबर 521/637 रकबा 0.77 हैक्टर अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 के हिस्से में एवं पीछे का हिस्सा खसरान नंबर 521 रकबा 0.77 हैक्टर प्रार्थी के हिस्से में आया किन्तु वक्त विभाजन प्रार्थी के हिस्से में आवागगन करने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं होने से प्रार्थी के हिस्से की आराजी में आवागमन करने A से B प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं हो सका जिसके कारण अप्रार्थी कम 1, 2, 3 आये दिन प्रार्थी को उपरोक्त प्रचलित पुरातन रास्ते में होकर आवागमन करने में बाधा पहुंचाती हैं जिसके संबंध में विभाजन वाद संख्या 62/2016 अप्र प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी कम 2 को भी लिखित शिकायत की किन्तु इसके बावजूद अप्रार्थीगण प्रार्थी के आवागमन में बाधा पहुंचाने से बाज नहीं आ रही हैं। प्रार्थना–पत्र में विवादित स्थल का नजरी नक्शा अंकित किया गया जिसके अनुसार A से B पुरातन रास्ते में अप्रार्थी कम 1, 2, 3 की ख.नं. 521/637 रकबा 0.77 हैक्टर में से 3.50 गुणा 114= 399 वर्गमीटर भूमि आती है। इस प्रकार से प्रार्थी के प्रचलित रास्ते में अप्रार्थी कम 1, 2, 3 की आराजी खसरा नंबर 521/637 की 0.04 हैक्टर पूर्वी आराजी आती है तथा उक्त क्षेत्र की प्रचलित डी. एल.सी. दर 1, 51, 939/रूपये प्रतिबीघा (0.16) होने से रास्ते में जाने वाली कुल भूमि 0.04 हैक्टर की कुल कीमत 37985/– रूपये बनती है जिसे अदा करने को प्रार्थी तत्पर है। प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को घारा 251–A के प्रावधानों के अनुसार उक्त रास्ते में आने वाली 0.04 हेक्टर भूमि की प्रतिकर राशि अप्रार्थी कम 1, 2, 3 को अदा करने को तत्पर है किन्तु अप्रार्थी कम 1, 2, 3 द्वैषतावश उक्त रास्ते को बाधित करने को आमादा है जिसमें यदि अप्रार्थी कम 1, 2, 3 सफल हो गई तो प्रार्थी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरुद्ध निम्न आशय की आज्ञा पारित फरमाई जावे किं :– (अ) प्रार्थना पत्र के नजरी नक्शे में A से B बिन्दु से इंगित पुरातन रास्ते की परिधि में आने वाली ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद के ख.नं. 521/637 रकबा 0.77 हैक्टेयर में से 3.50 गुणा 114=399 वर्गमीटर अर्थात् 0.04 हैक्टर पूर्वी भूमि को "गै. मु.रास्ता" घोषित किया जाकर उक्त भूमि को राजकीय खाते में दर्ज किया जावे तथा उक्त रास्ते की भूमि की प्रतिकर राशि रूबरू अदालत प्रार्थी से प्राप्त करने हेतु अप्रार्थी के 1, 2, 3 को आदेशित किया जावे तथा अदमप्राप्ति प्रतिकर राशि G.A.- 55 में जमा करवाने के आदेश फरमाये जावें। (ब) माल ग्राम मालीहेडा तहसील सोंगोद जिला कोटा में स्थित प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी के खाते एवं कब्जेकाश्त की आराजी में ट्रेक्टर ट्रोली, हल–कूली, बैलगाडी व अन्य कृषि उपकरणों के आवागमन के A से B रास्ते में आवागमन में अप्रार्थी कम 1, 2, 3 किसी प्रकार से मदालखत, मजामहत, क्षति, बाधा इत्यादि कारित नहीं करें। उक्त कृत्य न तो अप्रार्थी कम 1, 2, 3 स्वयं करें, न ही अपने नौकरों एजेन्टों अथवा अन्य व्यक्तियों से करावें। (स) अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रकरण की परिस्थितियों में न्यायसंगत हो प्रार्थी को प्रदान की जावें।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.11.2024 के द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अपीलांट के खाते की खसरा नम्बर 521/637 की भूमि में कायम किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2024 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रार्थीगण एवं वकील को जानकारी नही थी, इसकी सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 30.05.2025 के लगभग चैक व सूचना मिलने पर निर्णय की जानकारी कर दिनांक 03.06.2025 को नकल के लिये प्रार्थना–पत्र पेश कर दिनांक 05.06.2025 को नकल निर्णय प्राप्त की तथा तारीख जानकारी से अपील अविलम्ब अवधि मध्य प्रस्तुत की जा रही है, अपील प्रस्तुत करने मे जो देरी हुई हैं, वह एक सद्भाविक त्रुटि है, इसलिये दिनांक 03.06.2025 के पूर्व का समय जानकारी नही होने से न्याय हित मे कण्डोन होने योग्य है । अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को कण्डोन फरमाया जाकर अपील को अवधि मध्य मानी जाकर अपील मे सुनवाई की आज्ञा प्रदान करें । अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हुक्म जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय जैरे अपील विधिक संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यो एंव स्थापित कानून के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका रिपोर्ट दिनांक 20.05.2024 के आधार पर रास्ते का आदेश दिया है, वह मौका रिपोर्ट बिना पक्षकारों को सूचित किये तथा पक्षकारों की

बिना उपस्थिति में हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई है, ऐसी मौका रिपोर्ट के आधार पर 251 (क) के अन्तर्गत आदेश नहीं दिया जा सकता, तथा निर्णय अवैध व शून्य है । योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई के आदेश दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना–पत्र की सहायता मे 3.50 मीटर चाहे रास्ते के स्थान पर बिना मांग व आधार के 4 मीटर चौड़ा रास्ता कायम करने में भारी त्रुटि की है, तथा 4 मीटर चौड़े रास्ते का कोई आधार भी वर्णित नही किया, जबकि रेस्पोडेन्ट की मात्र 0.77 हैक्टयर भूमि है। 4 मीटर चौड़े रास्ते का औचित्य पर भी विचार नही किया गया । खसरा नम्बर 521 व 521/637 दोनो का एक ही खातेदार था, पूर्व खातेदार ने खेत के दो टुकड़े करके अपीलाण्टस् एवं रेस्पोण्डेन्ट को अलग अलग विक्रय कर दिये, जिससे खसरा नम्बर 521/637 को कय करने के पूर्व उसे रास्ते के लिये व्यवस्था करना था, जो नही कर अवैध रूप से अपीलाण्ट की भूमि मे से रास्ता चाहता है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2024 मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु नियत की थी, उसके बाद न तो अपीलाण्टस् को मौका रिपोर्ट की नकल दी, और न ही मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पेश करने का अवसर दिया, यहां तक कि दिनांक 30.08.2024 के बाद तो पत्रावली मे तारीख पेशी न देकर पड़ी रखी, तथा जून 2025 में फैसला लिख कर पुरानी तारीख में ऑर्डर सीट में फैसला सुनाना लिखा दिया, जिसकी सूचना तक अपीलांटगण के वकील को नही दी, जो पत्रावली के अवलोकन से ही प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2022(1) पेज 196, आर.आर.टी. 2024(2) पेज 968, 2023(1) आर. आर.टी. पेज 103, 2023(1) डी.एन.जे.(रेवेन्यु) पेज 813 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किया है वह रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि में आने जाने हेतु मौके पर विद्यमान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रास्ते के संबंध में मोका रिपोर्ट तलब की गई। प्रश्नगत रास्ते का मोका रिपोर्ट दिनांक 07.06.2021 को पटवारी हल्का व द्वारा विधिवत रूप से तैयार की गई है। उक्त मोका रिपोर्ट में भी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अपीलांट की भूमि खसरा संख्या 521/637 में होने का अंकन है। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 07.06.2021 को पटवारी हल्का द्वारा विधि अनुसार तैयार की गई है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। प्रश्नगत रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए प्रश्नगत निर्णय दिनांक 04.11.2024 पारित किया गया है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खाारिज किए जाने योग्य है।

अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है अतः न्यायहित में प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वयं के खाते की खसरा नम्बर 521 रकबा 0.77 हैक्टेयर वाके ग्राम मालीहेड़ा तहसील सांगोद की आराजी में आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 अपीलांटगण के खाते की आराजी खसरा नम्बर 521/637 में कायम किए जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.02.2022 में तहसीलदार सांगोद से प्राप्त जांच रिपोर्ट केवल पटवारी के द्वारा तैयार किए जाने तथा जवाब सरकार पठनीय नहीं होने के कारण तहसीलदार सांगोद से भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट तैयार करवाए जाने एंव जवाब पुनः मंगवाये जाने का आदेश अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.02.2022 की पालना में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने पत्र कमांक 881 दिनांक 06.06.2024 के द्वारा रिपोर्ट तैयार करवाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 30.08.2024 में तहसीलदार सांगोद द्वारा मोका रिपोर्ट प्राप्त होने का अंकन है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) को प्रभाव देने के लिए बनाए गए नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो भू–अभिलेख निरीक्षक पद से नीचे का नहीं होगा, से निरीक्षण करवायेगा तथा प्रभावित व्यक्तियों की आपत्ति आमंन्त्रित करेगा। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 20.05.2024 एवं नजरी नक्शे में अपीलांटगण के खाते की खसरा नम्बर 521/637 की पूर्वी मेंढ़ पर रास्ता होने का अंकन किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त मोका रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट के खाते की भूमि में रास्ता कायम किया जाना प्रस्तावित होने के कारण राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 69 के अनुसार उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 20.05.2024 पर अपीलांटगण को आपत्ति प्रस्तुत करने

का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना कूननन आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में मोका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत किए जाने का कोई आदेश भी अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांटगण द्वारा उक्त मोका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रकट किए जाने बाबत कोई प्रार्थना–पत्र भी संलग्न नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात अपीलांटगण को उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 20.05.2024 पर आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किए बिना सीधे ही पत्रावली वास्ते बहस नियत कर दी गई। अतः हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 की पालना किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय दिनांक 04.11.2024 पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अपीलांटगण को विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट दिनांक 04.11.2024 पर आपत्ति प्रकट करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 01/2020 में पारित निर्णय दिनांक 04.11.2024 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट पर अपीलांटगण को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करें। तथा प्रस्तुत की गइ आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण करते हुए राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.09.2025 को स्वयं उपस्थित रहें।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/7/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा